रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072024-255939 CG-DL-E-31072024-255939

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2885]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2024/श्रावण 07, 1946

No. 2885]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2024/SHRAVANA 07, 1946

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2024

का.आ. 3026(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोंदला वन्यजीव अभयारण्य, गोवा के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 615(अ), तारीख 25 फरवरी, 2015 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 615 (अ) द्वारा, तारीख 25 फरवरी, 2015 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

4693 GI/2024 (1)

सदस्यसचिव,पदेन"

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पिठत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 615 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"5. मानीटरी समिति.- (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी. अर्थात: -

मुख्य सचिव, सरकार अध्यक्ष, पदेन: (i) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य, पदेन: (ii) गोवा सरकार के पर्यावरण और वन. ग्रामीण विकास, कृषि, शहरी सदस्य, पदेन: (iii) विकास, आवास, खनन, पत्तन, परिवहन तथा राजस्व विभागों के प्रमुख सचिव गोवा सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की सदस्य: (iv) अवधि के लिए वन्यजीव या पारिस्थितिक या पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ पर्यावरण या वन्यजीव के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी (v) सदस्य: संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए गोवा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य; नामनिर्दिष्ट समुदाय आधारित संगठन का एक प्रतिनिधि

मुख्य वन संरक्षक, गोवा सरकार

(vii)

- (2) मानीटरी समिति, वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के आधार पर, का.आ. संख्याक 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय उसकी अनुसूची में समाविष्ट और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों की छानबीन करेगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगी।
- (3) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच मानीटरी समिति स्थल विनिर्दिष्ट द्वारा परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंद्ध विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

- (4) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाईल करने के लिए सक्षम होंगे।
- (5) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट रुप विधान में प्रस्तुत करेगी।
- (7) केंद्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकती है, जैसा वह उपयुक्त समझे।"।

[फा.सं. 25/36/2013-ईएसजेड-आरई] डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी"

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 615 (अ) तारीख 25 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन, का.आ. 3385(अ), तारीख 28 जुलाई 2023 द्वारा किया गया था।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2024

**S.O. 3026(E).**— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around Bondla Wildlife Sanctuary, Goa in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 615(E), dated the 25<sup>th</sup> February, 2015;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of the notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 615(E), dated the 25th February, 2015;

NOW, THEREFORE, in exercise of the of the powers conferred by the sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) read with the sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986 the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 615 (E), dated the 25th February, 2015, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"5. Monitoring Committee- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely: -

(i)	Chief Secretary, Government	Chairman, ex officio;
(ii)	Member Secretary, State Pollution Control Board	Member, ex officio;
(iii)	Principal Secretary of the Government of Goa from Department of Forest and Environment, Rural Development, Agriculture, Urban Development, Housing, Mining, Ports, Transport, and Revenue	Members, ex officio;
(iv)	One expert in ecology or environment from reputed institution/university to be nominated by the Government of Goa after every three years	Member;
(v)	One representative of a non governmental organisation working in the field of environment or Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Goa after every three years	Member;
(vi)	One representative of community based organisation to be nominated by the Government of Goa after every three years	Member;
(vii)	Chief Conservator of Forests, Government of Goa	Member Secretary,
		ex officio;

- (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and falling in the Ecosensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure-IV, appended to this notification.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".

[F. No. 25/36/2013-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist "G"

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 615(E), dated the 25<sup>th</sup> February, 2015 and last amended, vide number S.O. 3385(E), dated the 28<sup>th</sup> July, 2023.